

The Speaker made an observation regarding the overall security arrangements

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जो घटना घटी है, वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और यह घटना गंभीर भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहां के सुरक्षाकर्मियों ने, यहां के मार्शल ने, चैम्बर स्टाफ तथा सभी लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और मैंने खुद ने भी देखा था कि निडरता के साथ उनको दबोचा, उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ।

आज ही के दिन वर्ष 2001 में इसी तरीके से केन्द्रीय सुरक्षा बल, संसद के सुरक्षाकर्मी, यहां का स्टाफ तथा यहां के लोगों ने बहादुरी और निडरता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे ही हमले को फिर से विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किया है, उसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है।

यह घटना गंभीर और चिंतनीय है इसलिए हम इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवा रहे हैं। जांच के उपरान्त इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे, उसके अनुरूप हम अपनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी दलों के माननीय नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है तथा सुरक्षा व्यवस्था में और क्या-क्या सुधार हो सकता है, उसके लिए भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव लिए जाएंगे तथा सुरक्षा पुख्ता की जाएगी।

इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज चार बजे बैठक बुलाई है। हम सब इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, देश ने देखा है और आगे भी हम देशहित, राष्ट्रहित में अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

16.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Thursday, December 14, 2023/Agrahayana 23, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

** Introduced with the recommendation of the President..

** Introduced with the recommendation of the President..

* Not recorded.